

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ () FCA / उपसवजी / 2023-24 / 4239

दिनांक :- 14/07/23

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बस्सी, जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 6680-81 दिनांक 10.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त, निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/ स्पष्टीकरण शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे:-

1. जिला कलेक्टर द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तुत करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं हालांकि यूजर एजेन्सी द्वारा उप खण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य प्रकरण में 3.4764 हैक्टर गैर वन भूमि दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 है0 है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है।
2. वर्तमान सडक 1980 से पूर्व की बनी हुई है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव में राजस्व मैप पर अंकन नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में अभयारण्य क्षेत्र में पडने वाली गैर वन भूमि एवं वन भूमि का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।
5. अभयारण्य क्षेत्र में सडक की चौड़ाईकरण का प्रस्ताव है किन्तु यूजर एजेन्सी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना है।
6. प्रस्तावित प्रकरण में रोड की चौड़ाईकरण कार्य में 31 पेडो को क्षति होने की संभावना है। अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार प्रस्तावित रोड का संरेखण(alignment) संशोधन कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें। ताकि पेडो को कटने से बचाया जा सके।

भवदीय


(सागर पवार, IFS)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

